कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in , Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./ उ.व.स./2022–23/ 6880 दिनांक 19/6/23

निमित्तः– अधिशाषी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विषय – शाहबाद से राजपुर सडक निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/30083/2022 (4.00ha)

संदर्भः– संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा का पत्र कमांक 3139 दिनांक 14.6. 2023 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र की छाया प्रति संलग्न कर लेख है की उच्च कार्यालय द्वारा प्रस्ताव के पार्ट–I में आक्षेप लगाये गये है

अतः बिन्दु संख्या –1 से 5 एंव 9, 10 व 12 की पूर्ति कर शीघ्र इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जासके।

(संलग्न पत्र की छाया प्रति)

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

क्रमांक0 एफ ( )/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022–23/ दिनांक

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।

(दीपक कुमार गुप्ता)
उप वन संरक्षक
बारां

Scanned with CamScanner

कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता–किशोरपुरा कोटा–09 (राज0), ईमेलः–ccffdp.kota@gmail.com दूरभाषः– 0744–2500194

क्रमांकःएफ13( )एफसीए/समुवसं/2023/ 3139 दिनांक : 14.6.2023

निमित्त,

उप वन संरक्षक
बारां

विषयः Construction of Shahbad to Rajpur Road. (Online Proposal No.FP/RJ/ROAD/34657/2018)
संदर्भः आपका पत्रांक एफ ( )एफ.सी.ए./उ.व.सं./2022–23/6197 दिनांक 22.05.2023 के क्रम में

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण उपरान्त निम्नांकित बिन्दुओं पर सूचनाएं/स्पष्टीकरण दिया जाना अपेक्षित हैः–

1. शाहबाद से राजपुर जाने के लिए वर्तमान में मुण्डीयर से रास्ता पहले से ही उपलब्ध है। शाहबाद में कोई बड़ी मण्डी भी नही है, वैकल्पिक रूट भी मौजूद है फिर प्रस्ताव की आवश्यकता क्यों है, स्थिति स्पष्ट करें
2. भाग–I के बिन्दु J में प्रस्ताव को किसी अनुसूचित क्षेत्र में स्थिति होना नहीं बताया गया है, स्थिति स्पष्ट करें।
3. भाग–I के बिन्दु I में प्रस्तावित रोड़ किसी संरक्षित क्षेत्र में स्थित होना नही बताया गया है। पुनः चैक करें हाल ही में घोषित कंजर्वेशन रिजर्व का भाग है या नही, अगर है, तो तदानुसार संशोधन करावें।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा शाहबाद से राजपुरा सड़क निर्माण के दौरान निकलने वाले वेस्ट को केवल बाहर डालने की वचनबद्धता दी गयी है। जबकि उत्पादित मक वन उपज की श्रेणी में आता है। उत्पादित मक में कितना रोड़ निर्माण में लिया जावे को राशि का आंकलन कर विभाग में जमा कराने की वचनबद्धता प्रस्तुत की जावे।
5. पार्ट–I के साथ संलग्न शाहबाद से राजपुर रोड़ की टोपो शीट में बिन्दु ए, बी व सी अंकित है जबकि इण्डेक्स में डी का भी उल्लेख किया गया है। इसके अलावा इण्डेक्स में वनभूमि तथा प्रस्तावित रोड के पृथक–पृथक चिन्ह अंकित किए है जबकि प्रस्तावित रोड़ भी वनभूमि हेतु निर्धारित चिन्ह से अंकित कर दी गई है।
6. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 2 के अनुसार प्रस्तावित वनभूमि रक्षित वनभूमि है। इसके गजट नोटिफिकेशन की प्रति अपेक्षित है।
7. पार्ट–II के बिन्दु संख्या 4 में प्रस्ताव में आने वाले वृक्षों की प्रजातिवार सूची में प्रजाति नाम में स्पेलिंग भी गलतियां है, सही करें तथा कोष्ठक में साइंटिफिक नाम भी लिखें।
8. प्रस्तावित सड़क निर्माण में आने वाले पेड़ो की जो संकलित गणना रिपोर्ट अपलोड की गयी है वह अस्पष्ट है, स्पष्ट प्रति अपलोड की जानी अपेक्षित है।
9. प्रस्ताव में कुल 585 पेड़ आ रहे है, इन पेड़ो की कटाई की आवश्यकता है या नही स्पष्ट करें। यदि पेड़ों का कटान होना है तो उनके काटने तथा वन विभाग के डिपो तक पहुँचाने का व्यय प्रयोक्ता अभिकरण वहन करेगा इस आशय की वचनबद्धता लेवें।

Signature valid
Digitally signed by Mahesh Chand Gupta
Designation : Chief Conservator Of Forest
Date: 2023.06.14 ..:51:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027022

Scanned with CamScanner

10. आपके द्वारा प्रस्तावित सड़क के दोनों ओर 6 फिट उँचीं दीवार तथा दोनों क्षेत्रों को जोड़ने एवं 4–5 अण्डरपास के निर्माण प्रस्तावित किये है। किन्तु इसका कोई युक्तियुक्त आधार नही बताया गया है। अण्डरपास कहां–कहां बनेगें स्पष्ट नही है। साथ ही जी.पी.एस. कॉडिनेटस भी उपलब्ध नही कराये है। इन कार्यो का प्रयोक्ता अभिकरण से चर्चा कर पुनः विश्लेषण करें। अगर कोई कार्य करवाया जाना है तो उसे स्थल निरीक्षण रिपोर्ट में शामिल करें।

11. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट पूर्ण प्रतीत नही होती है। रिपोर्ट के बिन्दु ए व बी में जो लागू को उसे बोल्ड किया जाना अपेक्षित है और बिन्दु सी में वांछित अनुसा रिपोर्ट अपेक्षित है।

12. चैक लिस्ट 18 व 20 में प्रत्यावर्तित वनभूमि 4.00 हैक्टर की एवज में प्राप्त गैर वनभूमि 10 खसरा नम्बरों में होना बताया है जबकि ले–आउट प्लान में दो खसरा नम्बर में होना दर्शाया है। इसके अलावा नक्शे पर मार्ग सीमा अनुसार पिल्लर संख्या 1 से 4 के बीच में कुछ भूमि छुटी हुई जिसका कोई औचित्य नहीं है। यही भूमि जी0टी0शीट पर 6 जगह बताई है। स्थिति स्पष्ट करें तथा रिकार्ड संशोधित करें।

भवदीय

(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

Signature valid
Digitally signed by Ma[illegible] Chand Gupta
Designation : [illegible]nservator Of Forest
Date: 2023.06.14 [illegible]:51:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4027022

Scanned with CamScanner